नियम और विनियम

भाग–II
शैक्षिक मामले

2011

सिद्धिमूलं प्रबन्धनम्
भा. प्र. सं. इन्दौर
IIM INDORE

भारतीय प्रबंध संस्थान इंदौर

(28.03.2014 के अनुसार अद्यतन)

विषय–वस्तु

अध्याय सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	शासन संस्कृति	1
2.	संकाय भर्ती नियम	2
3.	संकाय विकास और मूल्यांकन तथा पदोन्नति के लिए नियम	4
4.	संकाय भत्ते	7
5.	संकाय विकास भत्ता (एफडीए)	9
6.	शिक्षण एवं परामर्श कार्य के लिए मानदंड	10

I. शासन संस्कृति

संस्थान की प्रशासनिक संस्कृति की एक भिन्न विशेषता संकाय अभिशासन है। संकाय का ढांचा समतल है जिसमें सभी संकाय सदस्य सीधे निदेशक को रिपोर्ट करते हैं। सभी प्रमुख शैक्षिक और गैर–शैक्षिक गतिविधियों की अध्यक्षता संकाय सदस्यों द्वारा की जाती है। अध्यक्षता क्रमानुसार होती है और उनकी नियुक्ति में वरिष्ठता का सिद्धांत नहीं अपनाया जाता। अध्यक्षों के पास कुछ औपचारिक अधिकार होते हैं और वे समेकित रूप से निर्णय लेते हैं। संकाय सदस्यों को विभिन्न गतिविधियों जैसे कि क्या पढ़ाना है, क्या शोध करनी है और संस्थागत मानदंडों के अंतर्गत प्रशिक्षण के लिए क्या योगदान करना है जैसी विभिन्न गतिविधियों पर निर्णय लेने की काफी स्वतंत्रता होती है। सामान्यतः निदेशक संकाय सदस्यों और विभिन्न संकाय के क्षेत्रों के परामर्श से शैक्षिक निर्णय लेता है।

2. संकाय भर्ती नियम

1. संकाय भर्ती समिति (एफआरसी)

यह क्षेत्र विशिष्ट समिति होगी इस समिति में निदेशक (अध्यक्ष), क्षेत्र समन्वयक (संचालक), संकाय विकास एवं मूल्यांकन समिति (एफडीईसी) का एक प्रतिनिधि, क्षेत्र से एक सदस्य, संबद्ध क्षेत्र से एक सदस्य तथा विशेषज्ञों के पैनल से बाह्य विशेषज्ञ शामिल होंगे।

2. विजिटिंग संकाय पद

वे अभ्यर्थी जिन्होंने अपने पीएच.डी. कार्यक्रम की सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली है (थीसिस प्रस्तुत करना) और पीएच.डी. प्रदान किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, को एक वर्ष के लिए विजिटिंग संकाय के रूप में भर्ती किया जा सकता है। इन आवेदनों पर एफडीईसी द्वारा कार्रवाई की जाएगी। अभ्यर्थियों को संकाय को एक खुला सेमिनार प्रस्तुत करना होगा।

3. नियमित पदों के लिए चयन प्रक्रिया

चयन प्रक्रिया में निम्नलिखित शामिल होंगेः

3.1 अभ्यर्थी द्वारा रूचिध्शोध कार्य के विषय पर सार्वजनिक सेमिनार। यह संस्थान के शैक्षिक सदस्यों के लिए खुला होगा।

3.2 एसआरसी सदस्यों और क्षेत्र सदस्यों के साथ वैयक्तिक बैठक। विचार–विमर्शों के आधार पर संकाय तथा सदस्य एफआरसी को अभ्यर्थी के उचित होने के संबंध में अपना मूल्यांकन प्रस्तुत करेंगे।

3.3 बाह्य विशेषज्ञ का मत लिया जाता है।

अभ्यर्थी के सीवी, सार्वजनिक सेमिनार के फीडबैक और एफआरसी तथा क्षेत्र सदस्यों की रिपोर्ट के आधार पर एफआरसी यह निर्णय लेंगी की क्या अभ्यर्थी का संकाय पद के लिए विचार किया जा सकता है।

3.4 प्रस्ताव निदेशक द्वारा किया जाएगा।

4. संबद्ध संकायः

उद्योग जगत/संबद्ध क्षेत्र तथा शिक्षा जगत से समुचित योग्यताओं वाले व्यावसायिक की एकध्दो वर्ष के लिए संबद्ध संकाय के रूप में नियुक्ति की जाएजी जो परस्पर सहमति से नवीकरणीय होगी। ऐसे संकाय से संस्थान के मानदंडों के अनुसार प्रति पाठ्यक्रम के आधार पर प्रदत्त प्रतिपूर्ति के साथ विजिटिंग आधार पर प्रतिवर्ष न्यूनतम दो पाठ्यक्रमों को पढ़ाने की आशा की जाती है। इसके अतिरिक्त, उनका एमडीपी, विभिन्न कार्यक्रमों के लिए अभ्यर्थियों के साक्षात्कार इत्यादि जैसी संस्थान की अन्य गतिविधियों में सहयोग का भी स्वागत किया जाता है। एफडीईसी के परामर्श से निदेशक ऐसे संकाय की नियुक्ति करेगा।

5. संकाय विकास मूल्यांकन समिति (एफडीईसी)

इस समिति में निदेशक (अध्यक्ष) तथा दो प्रोफेसर और सदस्यों के रूप में दो एसोसिएट प्रोफेसर शामिल होंगे। सदस्य संस्थान के बाहर से उपलब्ध विशेषज्ञों को दूसरे पूल से भी लिए जा सकते हैं। इस समिति का कार्यकाल नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष होगा।

इस समिति की जिम्मेदारियों में निम्न शामिल होंगेः

5.1 परिवीक्षा पर संकाय को स्थायी करना
5.2 संकाय की पदोन्नति
5.3 विजिटिंग संकाय पदध्संबद्ध संकाय पद की सिफारिश करना
5.4 संकाय विकास (संकाय प्रशिक्षण, सब्बाटिल, असाधारण अवकाश इत्यादि के आवेदनों पर कार्रवाई करना)

एफडीईसी की केवल परामर्शी भूमिकि है। एफडीईसी के विचार–विमर्शों के आधार पर निदेशक को एफडीईसी में विचार किए गए मामलों पर निर्णय लेने का अधिकार होगा।

6. सहायक प्रोफेसर के पद के लिए तीन वर्ष के अनुभव की आवश्यकता में छूट देना

संकाय संसाधनों की कमी को देखते हुए अन्य आईआईएम में अपनाई जाने वाली पद्धति के अनुसार आईआईएम पीएच.डी. योग्यता वाले अभ्यर्थियों (तीन वर्ष के पूर्व शिक्षण अनुभव के साथ अथवा उसके बगैर) की योग्यता के आधार पर सहायका प्रोफेसरों के रूप में भर्ती कर सकता है।

आईपीएम संकाय भर्ती

आईआईएम इंदौर के आईपीएम संकाय की भर्ती प्रक्रिया अन्य कार्यक्रमों के लिए संकाय की भर्ती प्रक्रिया के समान है।

मुंबई में संकाय भर्ती

मुंबई में आईआईएम इंदौर कार्यक्रम के लिए संकाय भर्ती आईआईएम इंदौर में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के समान है। तथापि, प्रतिपूर्ति निम्नानुसार होगीः

1. कुल वेतन का 80 प्रतिशत मासिक आधार पर दिया जाएगा और बाकी 20 प्रतिशत का भुगतान वर्ष के अंत में किया जाएगा जब संकाय सदस्य कार्यभार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर लें।

2. मुंबई में तैनात संकाय सदस्यों को संस्थान में सेवाओं के लिए अवसरों के अभाव को देखते हुए शिक्षण घंटों के रूप में 20 प्रतिशत अधिक कार्य करना होगा।

3. संकाय विकास और मूल्यांकन तथा पदोन्नति के लिए नियम

1. संकाय मूल्यांकन

एक व्यावसायिक शैक्षिक संस्था होने नाते संस्थान में प्रमुख उद्देश्य के रूप में प्रबंधन पद्धतियों का सुधार है। इसका अर्थ तीन प्रमुख गतिविधियां दृ ज्ञान सर्जन, ऐसे तरीकों से इस ज्ञान का प्रसार करना जो इसके प्रयोग का संवर्धन करता हो और प्रसारित ज्ञान के उपयोग के लिए व्यक्तियों तथा संगठनों की सहायता का प्रावधान करना।

2. संकाय कार्यभार

2.1 संकाय के स्तर पर ध्यान न देते हुए कार्यभार का एक समान मानक है (प्रोफेसरध्एसोसिएट प्रोफेसरध्सहायक प्रोफेसर, विजिटिंग प्रोफेसर)।

2.2 शैक्षिक वर्ष को तीन सत्रों में बांटा जाता है। प्रत्येक संकाय सदस्य को न्यूनतम 120 घंटों (75 मिनट प्रत्येक के कुल 96 सत्र) करने होते हैं। यह आवश्यकता संस्थान में विभिन्न कार्यक्रमों में शिक्षण द्वारा पूरी की जाती है (कंपनी में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों को छोड़कर) परंतु संकाय सदस्य को प्रमुख पीजीपी कार्यक्रम में प्रमुख पाठ्यक्रमों के न्यूनतम 20 सत्रों में पढ़ाना अनिवार्य है।

2.3 शिक्षण के अतिरिक्त संकाय सदस्यों से शोध में 80 आंशिक प्वाइंट तथा प्रशासन में 20 प्वाइंट प्राप्त करने की आशा की जाती है। विभिन्न शोधध्प्रशासनिक गतिविधियों के लिए प्वाइंट समय–समय पर संकाय सदस्यों को अलग से सूचित किए जाते हैं।

2.4 न्यूनतम भार के ये सभी समकक्ष यह सुनिश्चित करते हैं कि परामर्श के लिए औसतन प्रति सप्ताह 8 घंटे (प्रतिवर्ष 52 दिन) आरक्षित रखे जाते हैं की प्रत्येक संकाय सदस्य के पास कुछ प्रशासनिक कार्य हों और वह अपने स्वयं के व्यावसायिक विकास के लिए समय बिताएं।

3. आंतरिक पदोन्नति नीति

आंतरिक पदोन्नति प्रक्रिया में तीन चरण शामिल होते हैं अर्थात् पात्रता, न्यूनतम योग्यता और विशेषज्ञ पैनल द्वारा समग्र मूल्यांकन। मूल्यांकन संस्थान में शिक्षण, शोध तथा सेवाओं में योगदान पर आधारित होता है।

चरण–1: विभिन्न पदों के लिए **पात्रता** मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मानदंडों तथा बोर्ड द्वारा अनुमोदित छूट, यदि कोई हो, के अनुसार है।

चरण–2: विचार हेतु आवश्यक न्यूनतम योग्यता वैयक्तिक शिक्षण प्रभावित और शोध योगदान पर आधारित होगी। शिक्षण प्रभावित के लिए दीर्घावधि कार्यक्रमों अर्थात् पीजीपी, पीजीपी–मुम्बई, पीजीपी–आरएके तथा ईपीजीपी में शिक्षण पर ही विचार किया जाएगा। शोध योगदान पर एबीडीसी वर्गीकरण का प्रयोग करते हुए विचार किया जाएगा।

संशोधित न्यूनतम भर्ती

पदोन्नति स्तर	शिक्षण	शोध
सहायक प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर	>7 (1–10 वेतनमान)	• एक ख श्रेणी अथवा समकक्ष ग श्रेणी प्रकाशन और • एक फील्ड आधारित मामला/दो सेकैंडरी डाटा आधारित मामला/दो ग श्रेणी प्रकाशन
एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर	>7 (1–10 वेतनमान) पर	• एक ख श्रेणी अथवा समकक्ष ग श्रेणी प्रकाशन और • दो फील्ड आधारित मामलेध्चार सेकैंडरी डाटा आधारित मामलेध्चार ग श्रेणी प्रकाशन

टिप्पणी:

1. 1 क श्रेणी प्रकाशन = 2 ख श्रेणी प्रकाशन, 1 ख = 2ग श्रेणी प्रकाशन

2. कखघग वर्गीकरण का प्रकाशन की श्रेणी का निर्धारण करने के लिए उपयोग किया जाएगा।

3. शोध परिणाम उस अवधि के लिए हैं जिसके दौरान संकाय सदस्य उस स्तर पर रहा है जिससे उसने संस्थान से इतर पदोन्नति के लिए आवेदन किया है।

4. शिक्षण फीडबैक सहायक प्रोफेसर के लिए पिछले तीन वर्ष और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए पिछले चार वर्ष हेतु आईआईएम इंदौर अथवा आईआईएम इंदौर में एसोसिएशन, जो भी कम हो, के लिए होगा। यह आईआईएम इंदौर द्वारा प्रदत्त सभी दीर्घावधि पाठ्यक्रमों और आवेदक द्वारा पढ़ाए गए पाठ्यक्रमों का औसत फीडबैक है।

एफडीईसी की एक उप समिति शिक्षण प्रभावित तथा शोध के संबंध में व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत कार्य के कथन पर आधारित न्यूनतम योग्यता का मूल्यांकन करेगी। शोध परिणाम की गुणवत्ता पर एक विषय विशेषज्ञ का मत लिया जाएगा।

चरण 3: पूर्ण प्रोफेसर के रैंक पर 5 सदस्यों को शामिल करते हुए एक पदोन्नति बोर्ड होगा। यदि आवश्यकता हो तो पदोन्नति बोर्ड में कार्य करने के लिए अतिरिक्त विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जा सकता है। विषय विशेषज्ञों के मत, आवश्यक न्यूनतम योग्यता (एफडीईसी द्वारा तैयार मूल्यांकन दस्तावेजों के आधार पर) के आधार पर पदोन्नति बोर्ड व्यैक्तिक अभ्यर्थी के साथ संपर्कों के आधार पर पदोन्नति का समग्र मूल्यांकन करेगा।

शिक्षण, शोध तथा संस्थागत निर्माण सहयोग के लिए महत्व क्रमशः 40 प्रतिशत, 40 प्रतिशत और 20 प्रतिशत है। पदोन्नति बोर्ड व्यैक्तिक घटकों तथा समग्र मूल्यांकन के लिए कोई अंक प्रदान नहीं कर सकता है। पदोन्नति बोर्ड ऐसे मामले में आवश्यक व्याख्याक करेगा यदि किसी अभ्यर्थी के संबंध में कोई अस्पष्टता हो।

4. संकाय भत्ते

1. संकाय सदस्य निम्न का पात्र हैः

1.1 60,000/– रुपए प्रति वर्ष का संकाय विकास भत्ता

1.2 वर्ष में एक बार कागज प्रस्तुत कर्ता के रूप में एर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए पूर्ण वित्तीय सहायता के साथ संपूर्ण निधियन

1.3 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की यात्रा के लिए मानदंड

1.3.1 न्यूनतम पंजीकरण फीस से संबद्ध व्यय
1.3.2 न्यूनतम इकनॉमी राउंड ट्रिप यात्रा
1.3.3 वीजा व्यय
1.3.4 सम्मेलन के स्थान पर स्थानीय परिवहन आर्थिक पद्धति द्वारा वास्तविक के आधार पर भुगतान किया जाना।
1.3.5 भाग लेने वाले सम्मेलन के दिनों की संख्या के लिए संयुक्त राष्ट्र के मानदंडों के अनुसार प्रतिदिन जमा अधिकतम दो दिन की यात्रा।

1.4 राष्ट्रीय सम्मेलन भाग लेने और कागज प्रस्तुत करने के लिए संपूर्ण निधियन।

2. संकाय को एक वर्ष में परामर्श के 52 घंटों की अनुमति दी जाएगी। निदेशक अपने विवेक पर इसमें 52 घंटों से आगे विस्तार कर सकता है।

3. संस्थान के छुट्टी नियमः–

3.1 आकस्मिक अवकाश – 8 दिन प्रति वर्ष
3.2 प्रतिबंधित अवकाश – 2 दिन प्रति वर्ष
3.3 अर्जित अवकाश तथा वेकेशन अवकाश – 60 दिन वेकेशन प्रतिवर्ष। वेकेशन अवधि के न लिए गए भाग को अर्जित अवकाश में परिवर्तित कर दिया जाएगा।

- वेकेशन अवकाश प्रति शैक्षिक वर्ष 60 दिन का होता है। शैक्षिक वर्ष के मध्य में कार्यग्रहण करने वालों को प्रो–रेटा आधार पर वेकेशन अवकाश प्रदान किया जाएगा।

- संकाय सदस्य शैक्षिक वर्ष के दौरान (ग्रीष्म अवकाश को छोड़कर) एक समय में अधिकतम 20 दिन का वेकेशन अवकाश ले सकते हैं। लिए गए प्रत्येक वेकेशन अवकाश के लिए अधिकतम 10 दिन अथवा अवकाश के दिनों की वास्तविक संख्या को लिया जाएगा।

- वेकेशन अवकाश की अवधि में वेकेशन के दौरान शनिवार/रविवार तथा छुट्टी से पहले अथवा बाद में शनिवार/रविवार शामिल होंगे। साथ ही, वेकेशन के दौरान आने वाले सार्वजनिक अवकाश/राष्ट्रीय अवकाश को भी वेकेशन अवकाश के दिनों में गिना जाएगा।

- आज की स्थिति के अनुसार संस्थान द्वारा कोई शरत अवकाश घोषित नहीं किया गया है।

- ग्रीष्म अवकाश 15 अप्रैल और 15 जून के बीच 30 दिन का होता है।

- वे संकाय सदस्य जो ग्रीष्म अवकाश नहीं ले रहे हैं, संस्थान को मौजूदा मानदंड अर्थात् वेकेशन के दो दिन के लिए एक दिन का अर्जित अवकाश पर इसे अर्जित अवकाश (ईएल) में परिवर्तित करने के लिए शैक्षिक योजना प्रस्तुत करेंगे।

- किसी शैक्षिक योजना के अभाव में यह माना जाएगा कि संकाय सदस्य ने 30 दिन का ग्रीष्म अवकाश लिया है।

4. संस्थान के शासी बोर्ड ने संकाय के कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के उद्देश्य से बॉम्बे अस्पताल, इंदौर को अनुमोदित किया है। अन्यत्र हुए व्यय की प्रतिपूर्ति बॉम्बे अस्पताल, इंदौर की दरों पर सीमित होगी। संस्थान का इस अस्पताल के साथ क्रेडिट सुविधा हेतु भी करार है।

5. संस्थान में कार्यग्रहण करने वाले संकाय सदस्य समय–समय पर लागू भारत सरकार के नियमों के अनुसार स्थानांतरण यात्रा भत्ते के पात्र होंगे।

5. संकाय विकास भत्ता (एफडीए)

1. किसी संकाय सदस्य के लिए 60,000/– रुपए प्रति वर्ष तक एफडीए राशि का निम्नलिखित शीर्ष/उद्देश्य में से एक अथवा अधिक के लिए उपयोग किया जाएगाः

1.1 एक अथवा अधिक व्यावसायिक निकायों की सदस्यता फीस
1.2 पुस्तकों, पिरियोडीकल की खरीद
1.3 कंप्यूटिंग उपकरण और उपस्करों की खरीद
1.4 कंप्यूटिंग उपकरण का बीमा, रखरखाव और उन्नयन
1.5 राष्ट्र स्तरीय सम्मेलनों/कार्यशालाओं/सेमिनारों/पाठ्यक्रमों इत्यादि में भाग लेना
1.6 शोध सहायक/कंप्यूटर प्रोग्रामर की भर्ती करना और उसे रखना
1.7 अध्ययन, मामला लेखन इत्यादि के लिए व्यापार/कंपनियों का दौरा करने हेतु टीए/डीए
1.8 आउट स्टेशन कार्य के दौरान चिकित्सा/यात्रा बीमा
1.9 प्रकाशन की कवर लागत (पोस्टेज/कोरियर/फैक्स/प्रकाशन प्रभाग/"ओवर पेज सीमा" प्रभार इत्यादि)।
1.10 *अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने के लिए (कागज प्रस्तुत करने) सहायता।*
1.11 एफडीए के अंतर्गत खरीदा गया कोई कंप्यूटर हार्डवेयर अथवा सॉफ्टवेयर व्यैक्तिक संकाय की संपदा होगी।
1.12 संकाय सदस्य एफडीए का प्रयोग एक सप्ताह तक के लघु अवधि आवास हेतु अंतर्राष्ट्रीय दौरों के लिए योजना में कर सकते हैं। एफडीए निधियों का ऐसी यात्रा से संबद्ध यात्रा, आवास और वीजा व्यय के लिए प्रयोगकियाजा सकता है। तथापि, निधियों के उपयोग के लिए संकाय सदस्य को उस कार्य की विस्तृत रूप रेखा तैयार करनी होगी जो वह योजना अंतर्राष्ट्रीय दौरों के दौरान करना चाहता है।

2. अन्य प्रावधानः

2.1 यह अनुदान संस्थान के सभी नियमितधविजिटिंग संकाय सदस्यों के लिए उपलब्ध होगा। वित्तीय वर्ष के मध्य में संस्थान में कार्यग्रहण करने वाले अथवा त्याग–पत्र देने वाले अथवा वर्ष के दौरान वेतन के बगैर अवकाश पर जाने वाले संकाय सदस्य प्रो–रेटा आधार पर एफडीए के पात्र होंगे।

2.2 सभी के लिए हवाई यात्रा की प्रतिपूर्ति इकनॉमी क्लास भाड़े तक सीमित होगी।

2.3 संकाय सदस्य एफडीए बजट के अंतर्गत मदों की अनुमोदित सूची खरीद सकता है और वित्त एवं लेखा अधिकारी को समुचित साक्ष्य भेज सकता है। सीएओध्प्राधिकृत व्यक्ति के अनुमोदन से वित्त एवं लेखा अधिकारी व्यय की पूर्ति करेगा। वित्त एवं लेखा अधिकारी निधियों के वास्तविक उपयोग का खाता रखेगा (इसे व्यैक्तिक संकाय सदस्य द्वारा ऑनलाइन पहुंच योग्य बनाया जा सकता है)।

2.4 व्यैक्तिक संकाय सदस्य के लिए लागू संकाय विकास भत्ते (एफडीए) को एक वर्ष की अवधि के लिए आगे ले जाया जा सकता है।

6. शिक्षण एवं परामर्श कार्य के लिए मानदंड

1. कंपनी में कार्यक्रमों पर सभी व्यय के लिए लेखन के पश्चात् बेसी के 20 प्रतिशत को संस्थान के ऊपरी शीर्ष में आबंटित किया जाएगा। बाकी राशि को 80/20 के आधार पर साझा किया जाएगा (80 प्रतिशत संकाय सदस्य को और 20 प्रतिशत संस्थान को)।

2. इस टिप्पणी के पैरा 3 में प्रस्तावित मानदंड परामर्शी कार्य के लिए भी लागू होंगे।

3. कंपनी में कार्यक्रमों के अनुमोदन के लिए विस्तृत कार्यक्रम अनुसूची, संकाय को सत्रों के आबंटन तथा बजट के साथ निदेशक के कार्यालय को समुचित फॉर्म भेजना आवश्यक है।

4. बजट राशि का 60 प्रतिशत अग्रिम रूप से प्राप्त किया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना समन्वयक की जिम्मेदारी है कि कार्यक्रम/गतिविधि के अंत में संस्थान को पूरी राशि प्राप्त हो जाए।

5. सभी लागू करों का वास्तविक आधार पर संस्थान को भुगतान किया जाना चाहिए।

6. कोई आकस्मिक कार्य, जहां मानदेय प्राप्त हुआ हो, (3) और (6) में प्रस्तावित मानदंडों के अनुसार संस्थान के साथ साझा किया जाएगा।